



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 872/2007

याचिकाकर्ता

- थॉमस ज़ेस, आयु लगभग 56 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री झगरू ज़ेस, व्यवसाय: शासकीय सेवा, पदस्थ: अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग, धौरपुर, पूर्वी सरगुजा संभाग, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

बनाम

उत्तरवादीगण

- 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 2) वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
- 3) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 4) श्री आर.के. मल्होत्रा, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय उप-वनमंडलाधिकारी, कुनकुरी, वन मंडल, जशपुर, छत्तीसगढ़।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री शैलेंद्र दुबे, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3/राज्य की ओर से श्री सुशील दुबे, उप शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।



मौखिक आदेश

(दिनांक 19 अप्रैल 2007 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिनांक 04-02-2007 (अनुलग्नक पी./1) के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उसे वन विभाग में उप संभागीय अधिकारी, धौरपुर, पूर्व सरगुजा संभाग, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा के पद से स्थानांतरित कर जिला संघ, राज्य लघु वनोपज संघ, दंतेवाड़ा में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह आदेश साधारण स्थानांतरण का न होकर प्रतिनियुक्ति का आदेश है, जिसे याचिकाकर्ता की सहमति प्राप्त किए बिना पारित किया गया है।

2. यह प्रश्न कि क्या किसी कर्मचारी को उसकी सहमति प्राप्त किए बिना अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, पी.आर. झांगड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के प्रकरण में विचारित किया गया था, जिसमें यह अभिलिखित किया गया कि संबंधित कर्मचारी की सहमति के बिना पारित प्रतिनियुक्ति आदेश विधि-विरुद्ध होता है। फलस्वरूप, रिट याचिका क्रमांक 897/2007 में दिनांक 17-04-2007 के आदेश द्वारा याचिका स्वीकार की गई थी।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम इंदर सिंह एवं अन्य¹ के प्रकरण में, कंडिका 18 में निम्नानुसार अभिलिखित किया है-

“18. ‘प्रतिनियुक्ति’ की अवधारणा सेवा विधि में भली-भाँति स्थापित है तथा इसका एक स्वीकृत अर्थ है। ‘प्रतिनियुक्ति’ का सेवा विधि में एक विशिष्ट अभिप्राय होता है और शब्दकोशीय अर्थ इस संदर्भ में सहायक नहीं होता। सरल शब्दों में, ‘प्रतिनियुक्ति’ का अर्थ है संवर्ग के बाहर अथवा मूल विभाग के बाहर सेवा करना। प्रतिनियुक्ति का आशय किसी कर्मचारी को उसके संवर्ग के बाहर, अर्थात् किसी अन्य विभाग में अस्थायी रूप से स्थानांतरित या नियुक्त करना है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर कर्मचारी को अपने मूल विभाग में वापस



आकर उसी पद पर कार्य करना होता है, जब तक कि इस बीच उसे अपने मूल विभाग में भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति प्राप्त न हो गई हो। यह कि स्थानांतरण सामान्य पदस्थापन क्षेत्र के बाहर है या नहीं, इसका निर्णय उस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जो उस सेवा या पद का नियंत्रण करता है, जिससे कर्मचारी का स्थानांतरण किया गया है। किसी व्यक्ति की सहमति के बिना प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती, और इस कारण वह अपने अधिकारों एवं विशेषाधिकारों से अवगत होता है, जो प्रतिनियुक्ति के पद पर उसे प्राप्त होते हैं।”

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उमापति चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य²** के प्रकरण में निम्नानुसार अभिलिखित किया :-

“सार्वजनिक हित में तथा लोक सेवा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। प्रतिनियुक्ति एक सहमति-आधारित प्रक्रिया है, जिसमें मूल नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी की सेवाएँ उपलब्ध कराने का स्वैच्छिक निर्णय तथा उधार लेने वाले नियोक्ता द्वारा उन सेवाओं की स्वीकृति सम्मिलित होती है। इसमें कर्मचारी की यह सहमति भी निहित होती है कि वह प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहता है या नहीं।”

(5) उपर्युक्त के आलोक में, याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

(6) फलस्वरूप, याचिकाकर्ता के संबंध में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04-02-2007 (अनुलग्नक पी./1) को अभिखण्डित किया जाता है। यह याचिका इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 897/2007 (पी.आर. झांगड़े बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) में दिनांक 17-04-2007 को पारित आदेश के अनुरूप स्वीकार की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

